



फा.सं.रा.भा. 10(1)/2024-हिन्दी

दिनांक 28 अगस्त, 2024

परिपत्र

विषय:- सितम्बर, 2024 में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के आयोजन के संबंध में।


संविधान सभा द्वारा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा 14 सितम्बर 1949 को दिया गया था। अतः प्रतिवर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजभाषा नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय में प्रशासनिक प्रधान को राजभाषा संबंधी निर्धारित नियमों को लागू कराने का उत्तरदायित्व दिया गया है, जिसका अनुपालन हमारा उद्देश्य होना चाहिए।

कृपया राजभाषा विभाग के दिनांक 21.4.1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1/14034/2/87-रा.भा. (क-1) का अवलोकन करें जो सितम्बर माह में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के आयोजन से संबंधित है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए परिषद के सभी संस्थानों आदि में हिन्दी दिवस 2024 के शुभ अवसर पर सितम्बर, 2024 में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह के दौरान हिन्दी प्रतियोगिताओं/कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना अपेक्षित है। सभी संस्थान उपलब्ध संसाधनों के अनुसार हिन्दी पखवाड़े/माह का आयोजन अनिवार्य रूप से करें।

इस अवसर पर माननीय केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी द्वारा "संदेश" अनुपालन एवं मार्गदर्शन हेतु संलग्न है।

मुझे आशा है कि हिन्दी दिवस के कार्यक्रमों से परिषद एवं संस्थानों के कार्मिकों में सरल हिन्दी का प्रयोग करने के प्रति उत्साह सृजन में सफलता मिलेगी।

टिप्पणी:- परिषद मुख्यालय के परिपत्र सं. रा.भा. 7(1)/2023 हिन्दी दिनांक 25.04.2024 के माध्यम से संसदीय राजभाषा समिति सचिवालय, नई दिल्ली द्वारा भेजी गई संशोधित निरीक्षण प्रश्नावली अग्रेषित की गई है। अनुरोध है कि संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में इस संशोधित प्रश्नावली का संज्ञान लेते हुए इस पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का कष्ट करें।


(सुपर्णा दासगुप्ता)
निदेशक (राजभाषा)

वितरण:-

1. भाकृअप के अधीनस्थ सभी संस्थानों/निदेशालयों/ब्यूरो/केन्द्रों/एटीएआरआई के निदेशक (ई-ऑफिस के माध्यम से)
2. गाई फाइल

शिवराज सिंह चौहान
SHIVRAJ SINGH CHOUHAN

No. 163 /AM



कृषि एवं किसान कल्याण और
ग्रामीण विकास मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली
Minister of Agriculture & Farmers Welfare
and Rural Development
Government of India
Krishi Bhawan, New Delhi



संदेश

हमारा देश भारतवर्ष विभिन्न भाषाओं तथा सांस्कृतिक परम्पराओं को अपने में समेटे हुए अपनी अखंडता और अनेकता में एकता के लिए विश्व के सामने एक अनुपम उदाहरण है। हमारे देश में अनेक भाषाएं और बोलियां प्रचलन में हैं। किन्तु उनमें लगभग 70% लोग हिन्दी भाषा को पढ़ते, समझते या बोलते हैं। इस प्रकार हिन्दी सभी भारतीय भाषाओं के बीच एक सम्पर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। हिन्दी की व्यापकता और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इसके महत्वपूर्ण योगदान को ध्यान में रखकर संविधान सभा ने 14 सितम्बर, 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा प्रदान किया तथा संविधान में इसका प्रावधान किया। स्वतंत्रता के उपरान्त धीरे-धीरे ही सही आज हिन्दी हर क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है।

राजभाषा हिन्दी आम लोगों की भाषा है और यही भाषा सरकार और जनमानस के बीच सेतु का काम करती है। यही भाषा सरकार के नीतिगत निर्णयों को आम लोगों तक पहुँचाती है। अतः जितना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज जनता की भाषा में होगा, उसकी उपयोगिता और सार्थकता भी उतनी ही अधिक होगी। हम अपनी सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और भाषायी सौहार्द बनाए रखते हुए, हमें राजभाषा हिन्दी को सरकारी कामकाज में निरंतर बढ़ावा देना है। राजभाषा का सम्मान, कार्यान्वयन एवं उसकी प्रगति हम सभी का राष्ट्रीय एवं सांविधिक उत्तरदायित्व है। मैं समझता हूँ कि राजनीति की भाषा हिन्दी होनी चाहिए, परन्तु भाषा की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिन्दी केवल इसलिए महान नहीं है कि इसमें कुछ लोग कविता, लेख या अनुवाद कर लेते हैं, बल्कि यह इसलिए महान है कि वह हृदय से हृदय को जोड़ती है।

हिन्दी दिवस, 2024 के सुअवसर पर आप सभी को मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई व हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं उसके अंतर्गत आनेवाले सभी संस्थानों/क्षेत्रीय केन्द्रों/कृषि विज्ञान केन्द्रों को राजभाषा पर्व के दौरान आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता की कामना करता हूँ।

जय हिन्द, जय हिन्दी।

121
(शिवराज सिंह चौहान)

Agriculture & Farmers' Welfare Minister's Office : 120, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001

Tel. : 011-23383370, 23782594, 23073789, 23782691